निर्णय व इजलास प्रियंका गोस्वामी आई.ए.एस. अपीलीय अधिकारी (कलक्टर), कोटपूतली बहरोड़

प्रकरण संख्या 165 /2025 (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पुष्पेन्द्र सिंह यादव पुत्र कंवर सिंह यादव निवासी ग्राम सिलारपुर,

तहसील नीमराना, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान।

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़।

........प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005.

निर्णय   दिनांक 27.11.2025

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ उपलब्ध नहीं करवाने से यह अपील पेश कर वांछित सूचना दिलवाने का अनुरोध किया है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड़ को अपील मीमों की फोटो प्रति प्रेषित की जाकर बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया, अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ।
3. पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सूचना का अधिकार शाखा अतिरिक्त कलक्टर कोटपूतली–बहरोड द्वारा अपने पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/548 दिनांक 21.11.2025 के द्वारा अवगत कराया कि आवेदक से प्राप्त आवेदन के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत प्रार्थना पत्र का अन्तरण प्रभारी अधिकारी भू0अ0 जिला कोटपूतली–बहरोड़ को इस शाखा के पत्रांक आरटीआई/2025/413 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा किया जा चुका है, जिसकी सूचना आवेदक को इस शाखा के पत्रांक आरटीआई/2025/414 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अंत में राज्य लोक सूचना अधिकारी ने निवेदन किया कि इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः अपील में कार्यवाही ड्रॉप किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी को भी जरिये नोटिस सूचित किया लेकिन अनुपस्थित।
6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रत्यर्थी के जवाब अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अ0 जिला कोटपूतली–बहरोड से संबंधित है तथा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संदर्भ में प्रत्यर्थी/अतिरिक्त जिला कलक्टर जिला कोटपूतली–बहरोड़ द्वारा संबंधित अधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र का अन्तरण किये जाने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः उक्त अपील इसी स्तर पर अस्वीकार कर निस्तारित की जाती है तथा लोकहित में प्रभारी अधिकारी भू0अ0 जिला कोटपूतली–बहरोड को निर्देशित किया जाता है कि उक्त निर्णय की प्रति प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी के प्रथम आवेदन–पत्र में वांछित सूचना अपीलार्थी को अविलम्ब निःशुल्क नियमानुसार पंजिकृत पत्र से उपलब्ध कराई जावे, सबंधित कार्यालय में दस्तावेजी सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी तदनुसार स्पष्टतः अपीलार्थी को सूचित किया जाना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी भू0अ0 जिला कोटपूतली–बहरोड को भी जारी हो।
8. निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
आई.ए.एस.
अपीलीय अधिकारी (कलक्टर)
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड